

I 11111111

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 1,39,90,314.00 रुपये।

स्टाम्प : 9,79,300.00 रुपये। CHALLAN No
for M.171727/24.XI/2010

मैं कि फिरे पुत्र श्री जगभाल निवासी ग्राम कवैडा बरसाबाद परगना दादरी तहसील
दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (फरीक अव्वल, विक्रेता)।

एवम

मैसर्स उप्पाल चद्दा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० 33 कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस
कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्युनिटी
सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दायम/क्रेता)।



For Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory



Approved
Court. GZ)



बैनामा 139 90 314. 88
निबन्धन शुल्क --10,000/-रुपये उजरत 20/-रुपये
योग -10,020/-रुपये शब्द लगभग 600

श्री/श्रीमती मि. रंजित पेशा कैदी

पुत्र/पत्नी जगमोहन

निवासी- श्री अम्बदत्त पाठक निवासी-33 कम्युनिटी

ने कार्यालय सबरजिस्ट्रार दादरी जिला गौ0बुधनगर
मे आज दिनोंक 24-12-2010 को समय 4 व 5 के
मध्य प्रस्तुत किया है।

मि. रंजित

सबरजिस्ट्रार दादरी
24-12-2010

इस लेखपत्र का सम्पादन एवं इसमें लिखित जरे
बदल मु0 139 90 314 प्रलेखानुसार पाकर उक्त
श्री मि. रंजित

प्रथमपक्ष ने स्वीकार किया व तकमील से श्री दीपक
पाठक पुत्र श्री अम्बदत्त पाठक निवासी-33 कम्युनिटी
रोंटर न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी नई दिल्ली द्वारा मैसर्स उषल
चदढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वितीय पक्ष ने भी
स्वीकार किया



(2)

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम कचैडा बारसानाद; परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (3090). कृषि भूमि खाता नं० 125 के खसरा नं० 77 रकबा 2.915 हेक्टे० का 1/8 भाग 0.364375 है० व खसरा सं० 194 रकबा 1.971 है० से 0.39275 है० व खाता सं० 333 के खसरा सं० 170 रकबा 0.4360 है० का 1/2 भाग इस प्रकार कुल रकबा 0.975125 है० प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतीनी 1409 1414 फसली जिसका फरीक अव्यल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूगिधर कागजात दर्ज है, का बेनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लैंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूगिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 8000000/- रुपये प्रति हेक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200/- प्रति हेक्टेयर की दर से अंकन 1,39,90,314/- रुपये (एक करोड़ उनतालीस लाख नब्बे हजार तीन सौ चौदह रुपये मात्र) में तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

(3) विक्रेता अनुरोधित जाति एवं अनुरोधित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतीनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बाएह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।



For Upward Enclosed to: District Development Pdt. Ltd.


Authorized Signatory



जिनकी पहचान श्री राकेश आजाद पेशा आजाद

पुत्र श्री रवीन्द्र

निवासी- अंगणवाडी आजाद गट. ठा. १
व श्री अजीत पेशा आजाद

पुत्र श्री राकेश आजाद

निवासी- अंगणवाडी,

ने की

दिनांक २०

सबजिस्टार चादरी
२४-१२-२०१०



राकेश

राकेश

पुत्र

सभी फले प्रतीत होते हैं कि
अंगुठा निम्नानुसार लिये गये हैं

उप निम्नक
दा. २०, गैरम गुरु नगर

(3)

(6) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, मार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगह आव. रटन, बय. हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत भित्तियत उक्ता के विक्रय में कोई दोष व त्रुटी नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/लुत्सिखत भूमि के संबंध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे।

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त भूमि खाता नं० 125 के खसरा नं० 77 रकबा 2.915 हैक्टे० का 1/8 भाग 0.364375 है० व खसरा सं० 194 रकबा 1.971 है० में से 0.39275 है० व खाता सं० 333 के खसरा सं० 170 रकबा 0.4360 है० का 1/2 भाग इस प्रकार कुल रकबा 0.975125 है० स्थित ग्राम कबैडा थारसाबाद परगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक समृद्धि से मय समस्त अधिकार मालिकाना,



For Original Digital Signature: P. V. L. L. L.

Authentic
Authenticated Signature





(4)

काबिजाना, दाखिली-खारिजी, कास्त भरवाई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार गुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय घनराशी अंकन 1,39,90,314/- रुपये ((एक करोड़ उनतालीस लाख नब्बे हजार तीन सौ चौदह रुपये मात्र)) जिसके आधे अंकन 69,95,157/- (सन्तर लाख पचातर्वें हजार एक सौ सत्तावन रुपये मात्र) होते हैं के एवज में बराब फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल चढ़ा हाईटेक इवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्प्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन गंबर AAACU7200M द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्प्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बेच कर दिया है यागि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय घनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय घनराशी बाकी नहीं रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहसिथत मालकाना प्रयोग में लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बावत सगस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते हैं, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य घन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई मार निकला और निकला हुआ मार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी



For Uppl Ltd.



Authenticated Signatory





(5)

कानूनी नुक्स आदि से विक्रय मूँगि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अखल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जें खर्च प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसानकी चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहें वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अखल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काग आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत मूँगि एकवर्ष 0.975125 हैक्टेयर, खाता नं० 125 के खसरा नं० 77, 194 खाता सं० 333 के खसरा सं० 170 स्थित ग्राम कचैड़ा बारासाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

सिद्धि

For Upkal Chaudhary & Co., Advocates Pvt. Ltd.

Signature
Authorized Signatory





(6)

(15) बैंक ऐग्रेसन बैंक लि0 गाजियाबाद, शाखा गाजियाबाद का बैंक नंबर 3675660 अंकन 139,90,314/—(एक करोड़ उनतालीस लाख नब्बे हजार तीन सौ बीस छह रुपये मात्र) दिनांकित 24.12.10 फरीक अवल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

सुप्रीम

For Signature
Authorized Signatory

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अवल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दोयम (क्रोरी)

गवाह नं0 1 बहादुर शाह 510-2 जयपुर
बोपे दा वार भावद-नौ 0 बु.गार

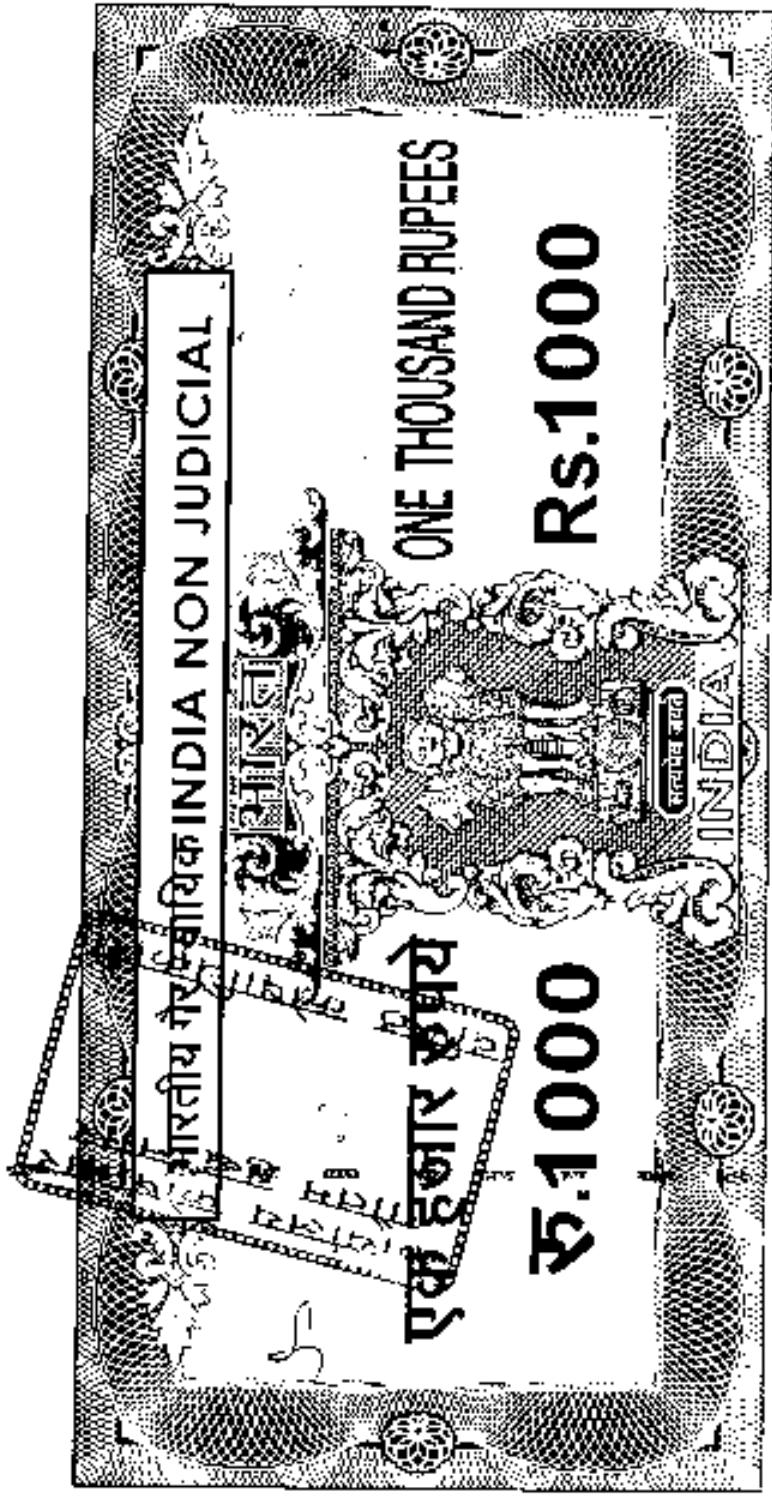
गवाह नं0 2 - भागीरथ 510-2 जयपुर
बोपे दा वार भावद-नौ 0 बु.गार

तहरीरी दिनांक: 24 12-2010 मशौदा तेजो-द सिंह एडवोकेट गाजियाबाद

Advocate
Court 37







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

132 110 149
 132 110 149
 132 110 149

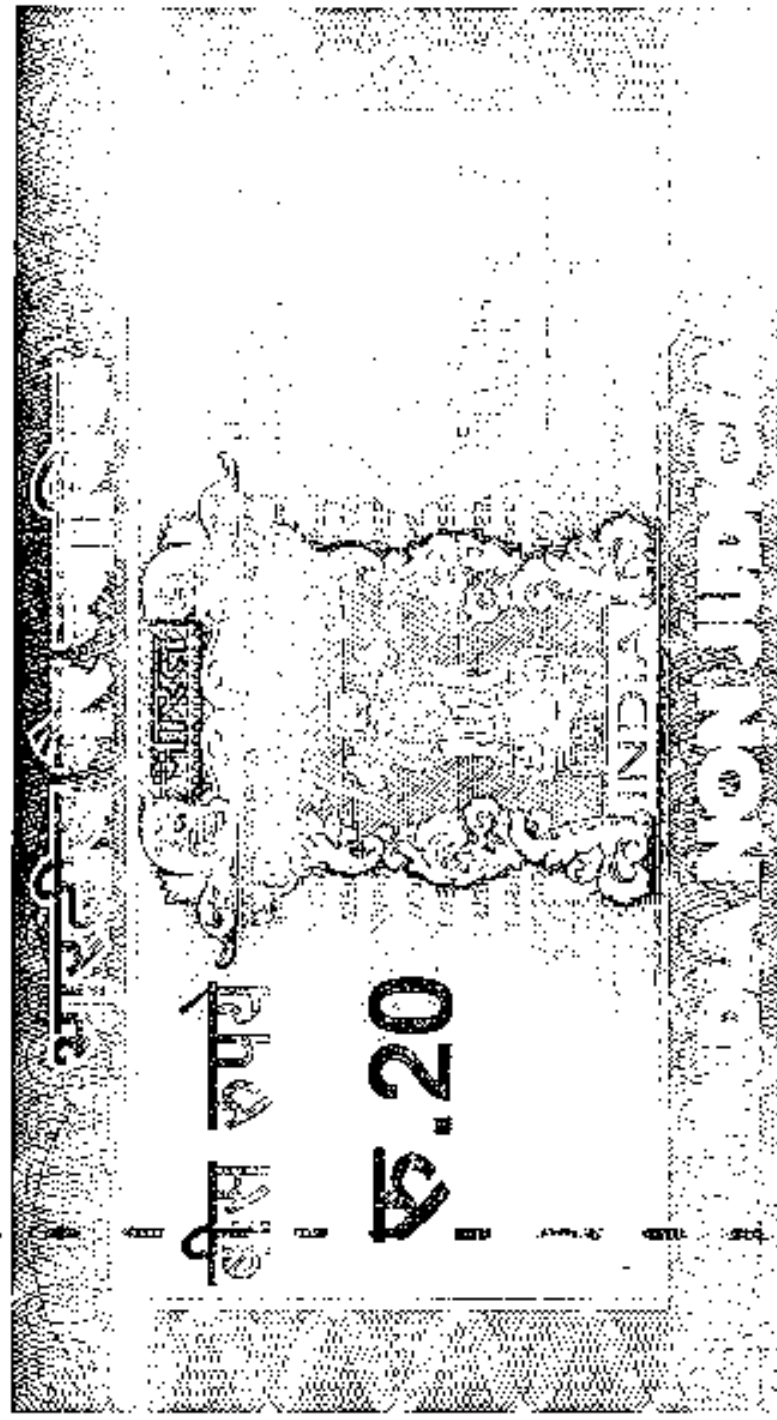
10/10/10



नाम सफल:
 रजिष्ट्र कर करने की प्रतिलिपि
 स्थापित सेवा का नाम व पूरा पता
 स्थान की जानकारी
अरविन्द कुमार स्टाफ विक्रेता
 लोक नं० १५ लोक अकादि २१.३ २००१
 उप निदेशक काशीनाथ, धर-नैपुण्य

अरविन्द कुमार
 अरविन्द कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AA 153011

Stamp duty paid in cash certificate in favour of-M/S UPPAL CHADDHA
HI-TECH DEVELOPERS PVT.LTD.,33,COMMUNITY CENTRE,NEW
FRIENDS COLONY, NEW DELHI

In pursuance of the order of the collector

No. dated 24.12.10 passed under

Section 10-A of the stamp act, it is certified that an

amount of Rs. 9,78,320-00 (In words Rs. Nine lacs seventy eight thousand
three hundred twenty only)

has been paid in cash as stamp duty in respect

of this instrument in the State bank of India

Treasury/Sub treasury ... NOIDA

By Challan No. N. 171727 dated 24.12.10

A copy of which is annexed herewith.

24/12

Dated 24/12

Senior Treasury Officer

Badliam Budh Nagar

नं. २२५५
दिनांक २३/१२/१०

23 DEC 2010

श्री कोषागार/गौतम बुद्ध नगर

Mrs Lipad Chakraborty
for Lda. Narinda

दिनांक २३/१२/१०

का संख्या ३०२

प्रतिपक्ष संख्या ३९९ सण्ड संख्या १४४९

के पुस्तक संख्या ४१५ पर क्रम संख्या १४४९

पर विनिर्दिष्ट किया गया।

उप निदेश

द्वारा



सेवा में,

साखा प्रबन्धक

उ० प्र० सा० आवासीय विभाग

दिल्ली

166

विशय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) को सम्बन्ध में

महोदय,

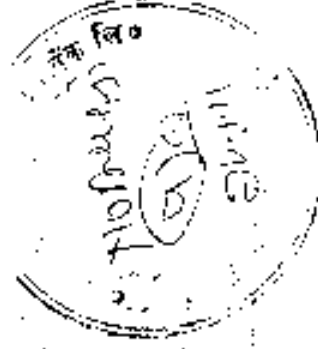
श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 125/333 उसका नम्बर न० 125/333 स्थित ग्राम भन्वोडा आरक्षण परगना जाटरी व तहसील जाटरी जिला ज० क०-काठको देवना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है। अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) प्रदान करने की कृपा करें।

सन्ध्याद ।

प्रार्थी

दि० ३० अगस्त

नि० ३०/८/८३



सेवा में
शाखा प्रबन्धक

सिंह एन वी
उपरील्लम

148

विशय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एनओ सीओ) को सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 125333 खाता नम्बर न्यू 125 रकबा स्थित ग्राम मन्नीडा बारसुका परगना दादरी व तहसील दादरी जिला जोधपुर को उपरोक्त भूमि में उपलब्ध बड़ा हाईटेक डेवलपर्स प्रा० लि० को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एनओ सीओ) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है। अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एनओ सीओ) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

सिंह एन वी

सिंह एन वी

सिंह एन वी



उद्घरण

उद्घरण खतोनी

ग्राम सभाका नं० 71020116093

प्राप्तकर्ता नाम : कर्पूर वाराहाबाई

परगना : दादरी

तहसील : दादरी

जन्मदिन : 14/11/1945

फसली वर्ष : 1409-1414 29/4/95

भाग : 1

क्रमांक	प्राप्तकर्ता का नाम	पिता/पति का नाम	पिता/पति का नाम	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता का नाम
1	कर्पूर वाराहाबाई	कर्पूर वाराहाबाई	कर्पूर वाराहाबाई	कर्पूर वाराहाबाई	कर्पूर वाराहाबाई	कर्पूर वाराहाबाई	कर्पूर वाराहाबाई	कर्पूर वाराहाबाई	कर्पूर वाराहाबाई

श्रेणी : 1-क भूमि जो संग्रहाणीय भूमिपरी के अधिकार में हो।

00175	आमदार	शेखर	वि. ग्राम	पृ.1402	77	2.9150
				पृ.1402	194	1.9710
				पृ.1402	537	0.2510
				पृ.1402	219	0.9780



अदेशानुसार डीमण्ड नं.वि.दादरी प.क-11क/10.6/02
आदेश हुआ कि खता नं.125,130 से भूतक कायम
पूर जमीन के स्थान पर था।
किं.ज.नं.वि.दादरी प.क-11क/10.6/02
व मू.भीमकोर प.वि.सं. जमाना जमाना
महोदय वाराहाबाई वाराहाबाई नं.वि.दादरी प.क-11क/10.6/02
1412क अदेशानुसार डीमण्ड नं.वि.दादरी प.क-11क/10.6/02
के क्रमांक 4/1.10.04 को आदेश हुआ कि खता नं.
125,130 से भूतक नं. भीमकोर के स्थान पर था।
किं.ज.नं.वि.दादरी प.क-11क/10.6/02
के नाम वाराहाबाई वाराहाबाई नं.वि.दादरी प.क-11क/10.6/02
अदेशानुसार डीमण्ड नं.वि.दादरी प.क-11क/10.6/02
3-8-2006को आदेश हुआ कि खता नं. 125 के स्थान पर
919/10.9780क. से विवेका था।
चद पूराण स्व. जमाना वि.ग्राम का नाम नं.वि.दादरी प.क-11क/10.6/02
लेन. म. ए.म.ए.म. वि.दादरी प.क-11क/10.6/02
उपलब्ध पूरा जमाना वि.ग्राम नं.वि.दादरी प.क-11क/10.6/02
का नाम वाराहाबाई वाराहाबाई नं.वि.दादरी प.क-11क/10.6/02
आदेशानुसार डीमण्ड नं.वि.दादरी प.क-11क/10.6/02
को अदेश हुआ कि खता नं. 125 के स्थान पर
1/4 भाग 1/2 भाग 0.3643क. से विवेका था।
पूर स्व. भीमकोर वि.ग्राम का नाम नं.वि.दादरी प.क-11क/10.6/02
लेन. म. ए.म.ए.म. वि.दादरी प.क-11क/10.6/02
चने क.नं.33, क.नं.वि.दादरी प.क-11क/10.6/02

100

तहसील ५ य

•

॥ श्री गणेशाय नमः ॥
 ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

(考)

4 **5**

•

कुल मे: 6.1

डामा श्री रेफिस्त शर्मा पुत्र स्व. जे.अर.शर्मा नि.
शिवा स्वामिसिरी डा.राष्ट. का नाम बनीर बैनाम
ह.स.र.का. 29-11-2006
शा.प्र.प्री.एन.जी.छपरोलाने हरीशचन्द्र कर्क ह.
गामाल को ज्वकन 100000/-ज्या देकन
125 के ख.न. 77, 194, 537 का 1/4वा
632 के ख.न. 173 का 1/2वाग बुल्ल रकन
को बन्धक किये। ह.स.र.का. 17-11-200

कुल गाटे: 4 कुल भे: 6.1150 289.75



ग्राम क्रमांक: 71020116093

जमाया: 1413 गौतमबुद्धनगर

आवाक्यनाम: कचैडा वारसाबादले

फसली वर्ष: 1409-1414

उद्धरण खतानी

परगना: वादरी

भाग: 1

तहसील: वादरी

खाता खतानी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति/ सहोदर का नाम	पिता का पेशा	मिवादा स्थान	खेती/अधिकार प्रारम्भ होने का काली बरत	खाते के अन्तर्गत की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार का पेशा मानगुजारी या लगान	खेतीवत सम्बन्धी जागा या उसका भोराज अनकी संख्या तथा विनोद सहीत और जाय देने वाले अधिकारी का पद
------------------------------	----------------	---------------------------	--------------	--------------	---	------------------------------------	--	--	---

श्रेणी: 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

00333	बाबू किरेचन्द	जगमाल जगमाल	वि. ग्राम वि. ग्राम	पू. 1402	170	0.4360
-------	------------------	----------------	------------------------	----------	-----	--------

बाबू पूज जगमाल की भूमि ओ.बी.सी. बैंक सुल्तानपुर
एमनाथद रि. 12.1.2001 को 2,50,000/-
लोन लेकर भूमि बन्धक की 1 ह. ले. अ.
1412 फ. शा. प्र. ओ.बी.सी. शाखा सुल्तानपुर मुद्रादन
रा. बाद ने दि. 27.11.01 को बाबू पूज जगमाल
नि. कचैडा वारसाबाद ने अफन 2,50,000/- क लोन
लेकर भूमि खाता सं. 333 के खसरा नं. 170/0.436
को बन्धक मुक्त किया गया। ह. ले. 5.11.04

कुल गाटे: 1 कुल से: 0.4360 16.30

Handwritten signature and stamp.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 442360

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक स्थान गाजियाबाद में श्री मि. र. प्र. सि. २
निवासी ग्राम पुत्र/पति
व जिला परगना तहसील
प्रथम पक्ष

एवं

गौ० सुप्पल चड्डा हाईटैक डवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33 काग्युनिटी
सेक्टर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा पुत्र
द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम परगना व तहसील
जिला में स्थित भूमि खाता सं० खसरा सं
सक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम
दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नहीं
है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या
कोई केश नहीं चल रहा है।

दिनांक २०/०५/२०२३

प्रथम पक्ष को उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर सरकारी आदि से پاک न साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार दादरी कार्यालय में बही सं० १ के पुस्तक सं० पृष्ठ पर क्रम सं० पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर 400 रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से रु०/- द्वारा चैक नं. दिनांक बैंक द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लॉट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. 400 प्रति गज के हिसाब से निर्धारित धनराशि दोनों पक्षों को मान्य है।
2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।
3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नहीं रहा सगरत अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।
4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के मूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष क होंगे। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु द्वारा चैक सं० दिनांक बैंक से प्राप्त कर लिये है।

5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरूप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

किरे श्री ई

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि मरिष्य में काग आवे ।

दिने १३

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.